



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"व्यवस्थापन 'स्व' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 E-Mail-eicpwduk@nic.in Web- http://govt.ua.nic.in/pwd



पत्रांक:- 59 / 01व्यख-सामान्य/19

दिनांक:- 10 / 02 / 2021

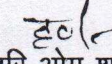
"कार्यालय ज्ञाप"

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-431/01व्यख- सामान्य/19 दिनांक 17.07.2020 द्वारा देश में चल रहे कोरोना वायरस (covid-19) संक्रमण के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग के अति-आवश्यक कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग देहरादून में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी शासनादेश 239/XXXI(15) जी0-04(सा0)/2020 दिनांक 02.05.2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-262/XXXI(15)जी0-04(सा0)/2020 दिनांक 29.05.2020 के बिन्दु संख्या-13 के कम में किसी भी ऐसी महिला कर्मिक जो कि गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की संतान हो को केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय आने में छूट दी गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या-520/XXXI(15) जी0-04(सा0)/2020 दिनांक 02.09.2020 के द्वारा उक्त समय सीमा को विस्तारित किया गया था।

वर्तमान में शासन द्वारा शासनादेश संख्या-115/XXXI(15) जी0/21-04(सा0)/2020 दिनांक 06.02.2021 द्वारा वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कोरोना वायरस (covid-19) का प्रभाव कम होने के दृष्टिगत उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-13 में उल्लिखित यथा "किसी भी ऐसी महिला कर्मिक जो कि गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की संतान हो को केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाई जा सकेंगी" को बिलुप्त कर दिया गया है।

अतः इस कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त आदेश दिनांक-17.02.2020 में अंशिक संशोधन करते हुए ऐसी महिला कर्मिक जो कि, गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी 10 वर्ष से कम उम्र की संतान होने पर संक्रमण के दृष्टिगत दी गयी छूट को एतद्वारा समाप्त किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।


(हरि ओम शर्मा)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता नियोजन/अधिष्ठान/गुणवत्ता नियन्त्रण विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
- 3- समस्त मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय/रा0मा0/ए0डी0बी0को शासकीय पत्र संख्या-115/XXXI(15) जी0/21-04 (सा0)/2020 दिनांक 06.02.2021के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित। (संलग्न-शासकीय पत्र की प्रति)।
- 4- वित्त नियन्त्रक विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता अधिष्ठान/नियोजन-1/11/गुणवत्ता नियन्त्रण विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
- 6- समस्त अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0वि0 को शासकीय पत्र संख्या-115/XXXI(15) जी0/21-04 (सा0)/2020 दिनांक 06.02.2021के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित। (संलग्न-शासकीय पत्र की प्रति)।
- 7- समस्त अधिशासी अभियन्ता विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
- 8- समस्त अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/रा0मा0/वि0/यां/ए0डी0बी0खण्ड लोक निर्माण विभाग
- 9- अधिशासी अभियन्ता आई0टी0 विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को उक्त ज्ञाप की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 9- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 1/11 विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
- 10- समस्त सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/प्राविधिक वर्ग/मानचित्रकार विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून।
- 10- प्रशासनिक अधिकारी कैश वर्ग।
- 10- सम्बन्धित कर्मिक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

